बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2016

आदेश

राज्य में आम जनों को गुणात्मक एवं सुगम स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने के निमित्त राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर चिकित्सकों/कर्मियों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। परन्तु, स्वास्थ्य संस्थानों में 24x7 चिकित्सीय सेवा की मुख्यालय स्तर से अनुश्रवण के क्रम में कई चिकित्सक अपने कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये हैं। चिकित्सकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति से संबंधित दैनिक प्रतिवेदनों में भी ऐसी स्थिति का उल्लेख पाया जा रहा है। चिकित्सकों के इस कृत्य से स्वास्थ्य सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

3. अतएव स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निमित्त स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित श्रेणी के चिकित्सकों/कर्मियों के अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित चिकित्सक/कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्यों/अधीक्षकों और सभी सिविल सर्जनों को निम्नरूपेण मार्गदर्शन दिया जाता है :-

(क) प्रथम एवं द्वितीय बार कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थित पाये जाने वाले चिकित्सक/कर्मी को लघु दण्ड दिया जा सकेगा।

(ख) तृतीय बार अनधिकृत अनुपस्थिति/ लगातार कर्त्तव्य से अनुपस्थित पाये जाने वाले चिकित्सक/ कर्मी को वृहद दण्ड दिया जा सकेगा।

(ग) उपरोक्त दण्ड बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के आलोक में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।

(घ) उपर्युक्त दण्डों के अतिरिक्त अनधिकृत अनुपस्थिति वाले दिनों का वेतन 'No Work No Pay' के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि को पेंशन प्रदायी माना जाएगा।

4. सभी नियमित चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों की शत् प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निमित्त सभी स्वास्थ्य संस्थानों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण किया जाएगा एवं अनुपस्थित पाये जाने वाले चिकित्सकों/ स्वास्थ्य कर्मियों पर उक्त नियमावली के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जायेगी।

15/1/16

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक 46(2) **पटना** 19/01/2016

प्रतिलिपि: सभी प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/ सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि उक्त अनुदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

15/1/16

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक 46 (2)...................... **पटना** 19/01/2016.............................

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/1/16

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक 46 (2)...................... **पटना** 19/01/2016.............................

प्रतिलिपि : सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई.टी. प्रबंधक, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/1/16

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक 46 (2)...................... **पटना** 19/01/2016.............................

प्रतिलिपि : सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/1/16

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक 46 (2)...................... **पटना** 19/01/2016.............................

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/1/16

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग